



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या 06 / 2019

दायर तारीख 25 / 01 / 2019

अनवान

1. मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)वादी

बनाम

01. प्यारचन्द पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. प्रकाशचन्द्र पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शंकरी बाई पुत्री जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रतिवादीगण

- उपस्थित :- 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री घनश्यामलाल धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29 / 12 / 2021

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 03/09/2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया में आराजी नं0 84 रकबा 3-14 बीघा, आराजी नं0 86 रकबा 4-16 बीघा कुल कित्ता 2 रकबा 8-10 बीघा भूमि में बाई शीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक/राजस्व/2020/290 दिनांक 03.03.2020 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	प्रकाशचन्द्र पिता जीतमल शंकरीबाई पुत्री जीतमल जाति धाकड़ सा0 गणेशपुरा खातेदार	देवनगर	84/1 84/3 86/1	0-15 2-04 1-06	0-38 1-10 0-39
	योग		किता 03	04-05	1-87
02	मोहन पिता जगन्नाथ दादा रूघा जाति धाकड़ सा0 गणेशपुरा खातेदार	देवनगर	86/2	2-02	0-63
	योग		किता 01	2-02	0-63
03	प्यारचन्द्र पिता जगन्नाथ दादा रूघा जाति धाकड़ सा0 गणेशपुरा खातेदार	देवनगर	84/2 86/3	0-15 1-08	0-38 0-41
	योग		किता 02	2-03	0-79


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
विजौलिया जि -भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29 / 12 / 2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियों जि -भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियों जि -भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अतः वादपत्र अन्तर्गत वारा 53 स्वीकार
किया जाता है। निर्णय व ट्रिप्ली पृष्ठ
से लिखवात्रा जाकर शाफिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर शाफिल
दफ्तर है।


उपसहस्र अधिकारी
विजालियों जि - भीलवाड़ा